

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) नियम, 2017

नियम 2 : माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 का अनुकूलन

(1) माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होगा बशर्ते कि निम्नलिखित परिवर्तन लागू होंगे, यथा:-

(क) नियम 1 में,—

(i) शब्द और अंक “केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर नियमावली, 2017” के स्थान पर “माल एवं सेवाकर प्रतिपूर्ति उपकर, नियमावली, 2017” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) नियम 3 से 7 को निरसित कर दिया जाएगा;

(ग) नियम 117 से 120 को निरसित कर दिया जाएगा।
